

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3(ii) में प्रकाशनार्थ)

फा.सं. 7/11/2018-एसी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

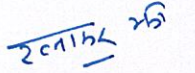
23 मई, 2025

नई दिल्ली, दिनांक -----

2 ज्येष्ठ, 1947 (शक)

अधिसूचना

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, एतद्वारा, डॉ. पूनम गुप्ता, उप-गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के निदेशक मंडल में नियुक्त करती है।



(रत्नाकर झा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23748762

ई-मेल: acsec-bkg@nic.in

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

रिंग रोड, नई दिल्ली।